प्रस्तावना

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशियों के विनियोग लेखे की तुलना भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 और 115 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ लगी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनेक राशियों से की गई है।

टिप्पणी 1:

इन लेखों में, जहां पूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त किए गए थे, वहां मूल और पूरक अनुदान अथवा विनियोग की राशियां अलग-अलग दिखाई गई हैं अन्यथा "कुल अनुदान या विनियोग" कालम के अंतर्गत दिखाई गई राशि "मूल प्रावधान" को दर्शाती है।

टिप्पणी 2:

टीका और टिप्पणियों में:

"मू" का तात्पर्य मूल अनुदान अथवा विनियोग से है।

"पू" का तात्पर्य पूरक अनुदान अथवा विनियोग से है।

"पु" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूर किए गए पुनर्विनियोगों, निकासियों अथवा अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंको में दिखाया गया है।

संसद द्वारा स्वीकृत राशि जिसमें पूरक अनुदान अथवा विनियोग शामिल हैं, के संदर्भ में विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है और इसी संदर्भ में यह व्यय हुआ है।

टिप्पणी 3:

तीन अनुदानों अर्थात् - 40-भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, 96-चंडीगढ़ और 97-दादरा एवं नागर हवेली के मामलों को छोड़कर संघ सरकार के सिविल लेखे चरणवार 1 अप्रैल, 1976 से विभागीकृत किए गए थे।

INTRODUCTORY

Appropriation Accounts of sums expended in the year ended 31st March, 2010 compared with the several sums specified in the schedule appended to the Appropriation Acts passed under Articles 114 and 115 of the Constitution of India.

Note 1:

In the Accounts, the amount of Original and Supplementary Grants or Appropriations have been shown separately where Supplementary Grants or Appropriations were obtained; otherwise, the amount shown under Col. "Total grant or appropriation" represents the "Original Provision".

Note 2:

In the Notes and Comments:

'O' stands for original grant or appropriation.

'S' stands for supplementary grant or appropriation.

'R' stands for reappropriations, withdrawals or surrenders sanctioned by a competent authority.

Charged appropriation and expenditure are shown in *italics.*

Variations are explained with reference to amounts sanctioned by Parliament including Supplementary grants or appropriations and expenditure thereagainst.

Note 3:

The Civil Accounts of the Union Government except in respect of three Grants viz. 40-Indian Audit and Accounts Department, 96-Chandigarh and 97-Dadra and Nagar Haveli were departmentalised in phases from 1st April, 1976.